



डॉ० अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 31.12.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी-

थाना – जीयनपुर, जनपद आजमगढ़

□ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गैंग बनाकर अराजकता फैलाने वाले 08 अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ डॉ० अनिल कुमार के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) चिराग जैन के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी सगड़ी के कुशल मार्गदर्शन में वांछित/वारण्टी एवं अराजक तत्वों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना जीयनपुर पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

□ घटना का अनावरण / गिरफ्तारी का विवरण

आज दिनांक 31.12.2025 को प्रभारी निरीक्षक जीयनपुर द्वारा मय हमराह पुलिस बल के साथ कार्यवाही करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम व फेसबुक पर “बाहुबली 9999” व “5050” नामक आईडी के माध्यम से आम जनमानस में भय व दहशत फैलाने वाले गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया।

➡ □ उक्त गैंग का लीडर रामचन्द्र उर्फ मैकू पुत्र स्व० कन्हैया यादव निवासी ग्राम भरौली थाना जीयनपुर है, जो एक शातिर किस्म का अपराधी है। इसके गैंग के सदस्य सोशल मीडिया पर भड़काऊ व डर पैदा करने वाली गतिविधियों के माध्यम से क्षेत्र में अराजकता फैलाने का कार्य कर रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

□ गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण

1. अजय यादव पुत्र सुरेन्द्र यादव निवासी शाहपुर नेवादा, थाना जीयनपुर
2. रामरतन यादव पुत्र लालधर यादव निवासी खतीबपुर, थाना जीयनपुर
3. भोलेनाथ यादव पुत्र विधिचन्द्र निवासी खतीबपुर, थाना जीयनपुर
4. उपेन्द्र यादव पुत्र रामरूप यादव निवासी दाउदपुर, थाना जीयनपुर
5. आर्यमान यादव पुत्र रामप्रताप निवासी शाहपुर नेवादा, थाना जीयनपुर
6. अंकित कुमार पुत्र दूधनाथ राम निवासी जमीन सिकरौरा, थाना जीयनपुर
7. राजकुमार पुत्र राबचन यादव निवासी खतीबपुर, थाना जीयनपुर
8. आदित्य यादव पुत्र रामाश्रय यादव निवासी दाउदपुर, थाना जीयनपुर

□ गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

- प्र०नि० राजकुमार सिंह, थाना जीयनपुर
उ०नि० विश्वजीत पाण्डेय, थाना जीयनपुर
उ०नि० पवन यादव, थाना जीयनपुर
उ०नि० हरीश कुमार शुक्ल, थाना जीयनपुर
उ०नि० अमित कुमार तिवारी, थाना जीयनपुर
का० अक्षय कुमार, थाना जीयनपुर

□ पुलिस का संदेश

सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह, भय अथवा अराजकता फैलाने वालों के विरुद्ध जनपद पुलिस द्वारा सख्त कार्यवाही जारी रहेगी। आमजन से अपील है कि किसी भी भ्रामक या आपत्तिजनक सोशल मीडिया गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें।

जनपद आजमगढ़ से कुल 05 (01 उ0नि0, 01 उर्दु अनुवादक व 03 मुख्य आरक्षी) पुलिस कर्मी हुए सेवानिवृत्त।

आज दिनांक- 31.12.2025 को जनपद आजमगढ़ पुलिस से 01 उ0नि0, 01 उर्दु अनुवादक व 03 मुख्य आरक्षी सेवानिवृत्त हुए, जिनकी विदाई का कार्यक्रम पुलिस लाइन्स आजमगढ़ में आयोजित किया गया। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन द्वारा सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारियों को सम्मान पूर्वक मिठाई और गले में फूल माला पहनाकर व मोमेन्टो देकर विदाई की गई, सेवानिवृत्त हुए कर्मियों को उनके आने वाले भविष्य के लिए स्वास्थ्यता की कामना की गयी।

सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारीगण का विवरण:-

01. उ0नि0 नीलमणी सिंह जनपद आजमगढ़।
02. उर्दु अनुवादक इम्तेयाद अहमद, जनपद आजमगढ़।
03. मुख्य आरक्षी सुभाष द्विवेदी, जनपद आजमगढ़।
05. मुख्य आरक्षी चालक सतीश कुमार सिंह, जनपद आजमगढ़।
06. मुख्य आरक्षी चालक ललन राम, जनपद आजमगढ़।

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना – अहरौला, जनपद आजमगढ़

दिनांक – 31.12.2025

नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगाने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का विवरण—

दिनांक 26.12.2025 को थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ पर नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगाने के संबंध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर मु0अ0सं0-453/2025, धारा 137(2)/87 बीएनएस पंजीकृत किया गया था। घटना के पश्चात अभियुक्त फरार हो गया था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे थे।

गिरफ्तारी का विवरण—

दिनांक 31.12.2025 को उ0नि0 नितेश कुमार चौबे द्वारा पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में भ्रमण एवं विवेचना के दौरान उपरोक्त मुकदमे से संबंधित अभियुक्त रोहित निषाद पुत्र कमलेश निषाद निवासी ग्राम पश्चिमपट्टी थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ (उम्र लगभग 23 वर्ष) को फुलवरिया अण्डरपास से समय लगभग 13.25 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम—

उ0नि0 नितेश कुमार चौबे

का0 रामानन्द गोड़

का0 लालजी यादव

म0का0 प्रियंका वर्मा

(थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़)

प्रेस-विज्ञप्ति

दिनांक – 30.12.2025

थाना – रानी की सराय, जनपद आजमगढ़

हत्या का प्रयास करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

➡ □ युवती के साथ छेड़छाड़ व हत्या के प्रयास का मामला

➡ □ त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्त गिरफ्तार

विस्तृत विवरण—

दिनांक 30.12.2025 को थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ पर प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर युवती के साथ छेड़छाड़ एवं हत्या का प्रयास किए जाने के संबंध में मु0अ0सं0-391/24, धारा 115(2), 352, 351(3), 126(2), 75, 109 बीएनएस पंजीकृत किया गया था। घटना में अभियुक्त द्वारा कोचिंग से घर लौट रही युवती को रास्ते में रोककर छेड़छाड़ की गई तथा विरोध करने पर जान से मारने की नीयत से गला दबाकर पानी में डुबोने एवं मारपीट करने का प्रयास किया गया। राहगीरों के हस्तक्षेप से पीड़िता की जान बच सकी। घटना के पश्चात अभियुक्त फरार हो गया था।

गिरफ्तारी का विवरण—

श्रीमान पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान के तहत दिनांक 30.12.2025 को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त ज्ञानेन्द्र पाठक पुत्र स्व0 लाल बहादुर पाठक निवासी पटखौली थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ (उम्र लगभग 30 वर्ष) को घाटीपट्टी हाईवे से समय करीब 15.00 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही कर उसे माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम—

उ0नि0 संतोष कुमार यादव

का0 अरविन्द यादव

(थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़)

